हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संख्याः—आर0 डी0 —सी0 (2)—2/2019 दिनांक शिमला —2 22 मार्च, 2022

## अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 एम0 एच0—01/ 2018 —19— एम0 एम0 ए0 वाए0— आर0डी0डी0 दिनांक 14 अगस्त, 2018 व संमसख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 के क्रम में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश "मुख्यमंत्री आवास योजना" में आंशिक संशोधन कर इस योजना के दिशा निर्देशों के बिन्दुओं 1, 3, 5(ii), 6, 8 धनराशि वितरण, 9, 10 व 11(vii) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

| क्र0 स0 | योजना की विशेषताएं / विवरण | योजना के दिशा निर्देश/ प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | भूमिका | वर्ष 2021—22 से योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के पुर्ननिर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना से धनराशि जारी नही की जाएगी।<br>प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के पुर्ननिर्माण हेतु अनुदान सहायता धनराशि सम्बन्धित जिला उपायुक्त द्वारा राष्टीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत धनराशि अदा की जाएगी। |
| 3 | उद्वेश्य | योजना के अन्तर्गत केवल प्रदेश के निर्धन परिवारों को गृह निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करना है। |
| 5 | योजना के मुख्य प्रावधान | ii) वर्ष 2021—22 से यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के बी0पी0एल0 परिवारों के लाभार्थियों के लिए होगी। |
| 6 | लाभार्थी की पहचान | **धनराशि वितरण**:—<br>❖ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का वितरण सम्बन्धित लाभार्थी को केवल आर0टी0 जी0 एस0/ एन0 ई0 एफ0 टी0 से किया जाएगा। लाभार्थी को स्वीकृत धनराशि मु0 1,50,000/— रू0 प्रति इकाई, तीन किश्तों में निम्न दर से वितरित की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • प्रथम किशत मु0 65000 / – रू0 निर्माण कार्य के आरम्भ होने पर दी जाएगी।<br>• द्वितीय किशत मु0 45000 / – रू0 निर्माण कार्य के लैटर स्तर तक चिनाई होने पर दी जाएगी।<br>• तृतीय किशत मु0 40000 / – रू0 निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर दी जाएगी।<br><br>योजना के अर्न्तगत धनराशि का वितरण ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को स्थानांतरित की जाएगी तथा जिला ट्रेजरी से यह धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में जाएगी। |
| 8 | आपदा ग्रस्त परिवारों के लिए प्रावधान | योजना के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि का 5 व 10 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्या आर0 डी0 –सी0 (2)–2 / 2019 दिनांक 18–02–2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।<br>The affected house cases can be sent to concern Deputy Commissioner by the Department and as per provision of Relief Manual. The funds are to be released by the concerned Deputy Commissioner after examining the case and if found eligible, claims will be settled accordingly. |
| 9 | समय अवधि बारे प्रावधान | योजना के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि का 5 व 10 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्या आर0 डी0 –सी0 (2)–2 / 2019 दिनांक 18–02–2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।<br>The affected house cases can be sent to concern Deputy Commissioner by the Department and as per provision of Relief Manual. The funds are to be released by the concerned Deputy Commissioner after examining the case and if found eligible, claims will be settled accordingly. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | विशेष प्रावधान | मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष सामान्य योजना (General Plan) में आवंटित धनराशि का 5 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत जरूरतमन्द परिवारों (अतिनिर्धन ऐसे परिवारों जो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन को वाध्य हो, व नये मकान स्वीकृति हेतु विचारे जाने व अनुदान दिये जाने योग्य हों, परन्तु किन्ही कारणों से ग्राम सभा की अनुसूची में न हो) के लिए सुरक्षित रखा जायेगा जो कि सम्बन्धित उपायुक्त की अनुशंसा पर सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निदेशक ग्रामीण विकास द्वारा स्वीकृत किये जायेगे।<br><br>लाभार्थी को स्वीकृत धनराशि मु0 1,50,000/- रू0 प्रति इकाई, तीन किश्तों में निम्न दर से वितरित की जाएगी।<br>• प्रथम किश्त मु0 65,000/- रू0 निर्माण कार्य के आरम्भव होने पर दी जाएगी।<br>• द्वितीय किश्त मु0 45000/- रू0 निर्माण कार्य के लैटर स्तर तक चिनाई होने पर दी जाएगी।<br>• तृतीय किश्त मु0 40000/- रू0 निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर दी जायेगी। |
| 11 | अन्य प्रावधान | vii) मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आपदा ग्रस्त परिवारों को आवास निर्माण को दी जाने वाली अनुदान सहायता को समाप्त कर दिया गया है। |

**आदेशानुसार**

**निशा सिंह**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास)**
**हिमाचल प्रदेश सरकार।**

**पृष्ठांकन संख्याः आर.डी.(सी) 2-2/2019 दिनांक, शिमला-02 मार्च, 2022**
**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2

3. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–4

4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

5. प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला–3

6. समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हि0प्र0।

7. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला 09

8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सी) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 07–03–2022 को हुई मंत्रीमण्डल की बैठक के मद संख्या 02 के संदर्भ में सूचनार्थ।

9. सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश शिमला–2

10. अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 09

11. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डी0आर0डी0ए0, हिमाचल प्रदेश।

12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

13. रक्षक नस्ति

सविता

(सविता थापा)
अवर सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।